

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

दहेज के लिए विवाहिता को उत्पीड़न करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 23/24.08.2020 अभियुक्तगण द्वारा वादी सुरेन्द्र चौहान पुत्र रामचन्द्र चौहान निवासी बनावे थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की पुत्री शकुन्तला देवी उम्र 25 वर्ष को दहेज की मांग को लेकर मारना पीटना प्रताड़ित करना व दहेज के लिये जान से मार डालना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 261/2020 धारा 498 A/304B IPC व 3/4 DP ACT पंजीकृत था। जिसमें 2 अभियुक्तों को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 21.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक स्वतन्त्र कुमार सिंह मय हमराह का0 मुकेश सिंह, का0 अंकुर सिंह, का0 रामनिवास, म0का0 प्रियका गुप्ता, म0का0 शिवानी सिंह द्वारा मु0अ0सं0 261/2020 धारा 498 A/304B IPC व 3/4 DP Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता चम्पा देवी पत्नी रामनगीना निवासी ग्राम कंजरा दिलशादपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर बहद ग्राम कंजरा दिलशादपुर से समय 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 261/2020 धारा 498A/304B IPC व 3/4 DP Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता

चम्पा देवी पत्नी रामनगीना निवासी ग्राम कंजरा दिलशादपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक स्वतन्त्र कुमार सिंह थाना जीयनपुर मय हमराह जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 17.9.2020 को वादी श्री अशोक कन्नौजिया पुत्र फेकू राम ग्राम मन्दे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 204/20 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2) v sc/st Act पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 21.09.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षणमें वांछित वारण्टी की गिरफ्तारी के चलाये गये अभियान के क्रम में 204/20 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2) v sc/st Act से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आमिर पुत्र मुजम्मिल उर्फ छेदी ग्राम मन्दे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 07.05 बजे सुबह में अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्त आमिर पुत्र मुजम्मिल उर्फ छेदी ग्राम मन्दे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ गलती की माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब गलती हो गयी। अब दोबारा गलती नहीं करुगा।

पंजीकृत अभियोग:- 204/20 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2) v sc/st एक्ट, थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- आमिर पुत्र मुजम्मिल उर्फ छेदी ग्राम मन्दे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-उ0नि0बाके बहादुर, थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

2.हे0का0 रामकेवल यादव थाना-जहानागंज, आजमगढ़।